R.M.R no-04/2024-25
Dewan Murmu and
-vs-
Suniram Murmu

नं0 – 563

आदेश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
21/8/25	Petitioner – वादी अनुपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी की ओर से उपस्थित विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–03.03.2025 का अवलोकन किया। प्रसंगाधीन पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा बन्दोवस्त पदाधिकारी, सं0प0, दुमका के आर0एम0आर0 नं0–68/2020 देवान मुर्मू व अन्य –बनाम– सुनीराम मुर्मू में दिनांक–20.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें मौजा–सोनाडंगाल थाना नं0–39, थाना–दुमका (मु0), जिला–दुमका के हाल पर्चा के हाल खाता नं0–11/6 में दर्ज हाल खाता रैयती का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुनीराम मुर्मू का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–03.03.2025 के आलोक में उभय पक्ष को स्वयं या वकालतन अपना पक्ष रखने हेतु अंचलाधिकारी, दुमका सदर के माध्यम से सूचना निर्गत की गयी। निर्धारित तिथि को वादी अनुपस्थित रहे। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से मैं पाता हूँ कि आर0एम0आर0 नं0–68/2020 देवान मुर्मू व अन्य –बनाम– सुनीराम मुर्मू में दिनांक–20.01.2023 को पारित आदेश में बन्दोवस्त पदाधिकारी, सं0प0, दुमका का मंतव्य है कि आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका के द्वारा सेटलमेंट अपील नं0–247/2017–18 में दिनांक–27.07.2018 को पारित आदेश द्वारा साविक जमाबंदी नं0–6 में सुनीराम मुर्मू का नाम दर्ज किये जाने की सम्पुष्टि की गयी है। इसी प्रकार आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका द्वारा आर0एम0आर0 नं0–192/2019–20 में दिनांक–08.04.2022 को पारित आदेश में सुनीराम मुर्मू के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। साथ ही आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका द्वारा आर0एम0ए0 नं0–210/2012–13 में दिनांक–08.04.2022 को पारित आदेश में भी सुनीराम मुर्मू के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका द्वारा उपर्युक्त वादों में किये गये आदेश के आलोक में देवान मुर्मू व अन्य द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद आर0एम0आर0 नं0–68/2020 को खारिज किया गया है। यह भी पाता हूँ कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पेशकारी प्रशाखा, संताल परगना, दुमका के पर्चा करेक्शन केस नं0–1619/2014 सुनीराम मुर्मू –बनाम– देवान मुर्मू ई0 में	

अनुसूची 14 फारम सं0 – 563

आदेश की क्रम की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	दिनांक–17.03.2016 में भी मौजा–सोनाडंगाल थाना नं0–39, थाना–दुमका (मु0), जिला–दुमका के हाल सर्वे जमाबंदी नं0–11/6 के पर्चा खाना–4 में दर्ज हाल इन्द्राज को खारिज कर उसके स्थान पर हाल पर्चा खाना–4 में सुनीराम मुर्मू, पिता–स्व0 सुफल मुर्मू के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। सम्यक विचारोपरांत मैं पाता हूँ कि पूर्व में आयुक्त के न्यायालय संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका तथा निम्न न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त आदेश सही एवं विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रसंगाधीन पुनरीक्षण वाद को अंगीकरण के विन्दु पर निरस्त किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 21/8/25 प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

Digitally signed by LAL CHAND DADEL
Date: 2025.10.31 15:00:29 +05:30
Location: 192.168.29.145